


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/7309-यू/2019/ दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/वॉ-1/2017/2369 दिनांक 02.11.2017 के द्वारा क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री जगदीश प्रसाद खारवाल, लिपिक ग्रेड-प्रथम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी, पाली का दिनांक 30.09.2018 से 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त आदेश जारी किये गये थे में पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेप के कारण कार्मिक का नाम श्री जगदीश प्रसाद खारवाल के स्थान पर श्री जगदीश प्रसाद किया जाता है।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/7309-यू/2019/382

दिनांक : 06/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी, पाली।
4. प्रभारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर